

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936

No. 199]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015/MAGHA 8, 1936

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2015

का.आ. 276(अ).—श्रीमती वत्सला वासुदेव, आईएएस, गुजरात सरकार को अधिसूचना जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड में एक सदस्य के रूप में नामित करने वाली दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन के साथ, निम्नलिखित को इस प्रकार पढ़ा जाए:

“पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा खंड 4 (3) (छ) के अंतर्गत नामित किया गया है”

इस प्रकार पढ़ा जाए

“गुजरात सरकार द्वारा खंड 4 (3) (छ) के अंतर्गत नामित किया गया है”

[सं. 25012/7/2014-रेशम]

सुनयना तोमर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2015

S.O. 276(E).—In partial modification of Notification dated 30th October, 2014, nominating Smt. Vatsala Vasudeva, IAS, Government of Gujarat as a member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of the Notification, the following may be read as under:

“Nominated by the Government of West Bengal under Section 4(3)(g)”.

READ

“Nominated by the Government of Gujarat under Section 4(3)(g)”

[No. 25012/7/2014-Silk]

SUNAINA TOMAR, Jt. Secy.